लघु एवं कुटीर उद्योग: मजबूती का वाहक

अनिल भारद्वाज

यहां यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि 1991 से ही सीमा शुल्क में कमी की जाती रही है, लेकिन घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस पर पुनर्विचार किये जाने की अब भी जरूरत है। ये अधिक सूक्ष्म रुख के सूचकांक हैं। हरसंभव प्रयास के बावजूद, ये शुल्क डब्ल्यूटीओ की ओर से निर्धारित 25 और 40 प्रतिशत की दर के दायरे में ही हैं। इस कदम की आलोचना भी हुई है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे दमनकारी बताया है। क्या इससे यह संदेश जायेगा कि भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक होने के बजाय संरक्षण चाहता है

गत एक फरवरी 2018 को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश बजट में चार क्षेत्रों पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया है- कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य एवं एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों) के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

यह आलेख चौथे क्षेत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम पर केंद्रित है। बजट पेश करने के बाद अगले ही दिन *क्रिसिडेक्स* का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाने में इंजन का कार्य करेगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में धीरे-धीरे संकट जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रत्येक वर्ष बढ़ रहे एक करोड़ से एक करोड़ 20 लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में असफल रही है। निस्संदेह, सरकारें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 25 फीसदी से बढ़ाने को लेकर प्रयास करती रही हैं, लेकिन यह हिस्सेदारी 15-16 प्रतिशत से आगे बढ़ नहीं पा रही है। हालांकि बगैर किसी सुधार के एमएसएमई के लिए जोखिम-पुरस्कार अनुपात (रिस्क-रिवार्ड रेशियो) खिसकता जा रहा है।

2018-19 के आम बजट से यथास्थिति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रथमतः, कपड़ा क्षेत्र के अलावा अब अन्य सभी क्षेत्रों में भी निश्चित अवधि के रोजगार के अवसर की घोषणा श्रम सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकती है। इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें कारोबार एक निश्चित अवधि के लिए हो पाता है। नियोक्ता या तो लोगों को काम पर नहीं रखते या रखने के संबंध में रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अल्पावधि के लिए नियुक्त करना गैर-कानूनी है। (हालांकि मजदूर संगठनों के प्रतिरोध के कारण प्रस्ताव के आगे बढ़ने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं।)

कारोबारियों द्वारा ऐसी नियुक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में अतिरिक्त कार्यबल पर होने वाले व्यय पर 130 प्रतिशत तक की भारी कटौती की अनुमति दी गयी है। इसमें नये कर्मचारियों की भविष्य निधि का जिम्मा तीन साल तक सरकार द्वारा उठाने के प्रावधान किये गये हैं।

विनिर्माण क्षेत्र को बजट में समर्थन दिये जाने का एक और मजबूत संकेत इस बात से मिलता है कि 40 से अधिक श्रम-प्रधान उत्पादों में घरेलू मूल्य-संवर्धन को प्रोत्साहित करने के वास्ते सीमा शुल्क में बढ़ोतरी (पांच से 15 प्रतिशत) की गयी है।

उपरोक्त के मामले में आयात से संरक्षण पाने वाले श्रेणियों में निम्नलिखित उत्पादों को रखा गया है-

लेखक भारतीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम संघ, नई दिल्ली के महासचिव हैं। इन्होंने एसएमई के प्रमोशन के लिए केंद्र द्वारा गठित कई सारी हाई प्रोफाइल समितियों में अपनी सेवाएं दी हैं। वे विश्व बैंक, यूनिडो, आईएलओ, यूएनसीटीएडी, डीएफ़आईडी और जीटीजेड जैसी बहुपार्श्विक और द्विपार्श्विक डोनर एजेंसियों के कई सारे एसएमई विकास परियोजनाओं में सलाहकार रह चुके हैं। ईमेल: sg@fisme.org.in

एमएसएमई को प्रोत्साहन

वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने केंद्रीय बजट 2018-19 में मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3794 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी तथा नवप्रयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट 2018-19 प्रस्तुत करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि वस्त्र क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रुपये के परिव्यय की भी व्यवस्था की गई है।

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

इससे समस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वर्ग को लाभ मिलेगा जो कर विवरणी दायर करने वाली कंपनियों का लगभग 99 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस उपाय के लिए अनुमानित राजस्व व्यय 7,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा, 'मैंने चरणबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट कर कम करने का वादा किया था और यह इसी दिशा में उठाया गया कदम है।' उन्होंने यह भी कहा कि, '99 प्रतिशत कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर कम होने से निवेश के लिए उनके पास अधिक अधिशेष बचेगा जिससे नई नौकरियों का सृजन होगा।'

वित्त मंत्री ने याद किया कि केंद्रीय बजट 2017 में उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये से कम उत्पादन वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इससे कर विवरणी दायर करने वाली 96 प्रतिशत कंपनियां लाभान्वित हुई थीं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस उपाय के बाद विवरणी दायर करने वाली 7 लाख कंपनियों में से 250 करोड़ रुपये से अधिक की आय और उत्पादन वाली लगभग 7,000 कंपनियों के लिए कर की दर 30 प्रतिशत ही रहेगी। ❑

- प्रसंस्करित फुड्स
- परफ्यूम्स एवं टॉयलेटरी
- ऑटोमोबाइल्स एवं ऑटो पार्ट्स
- फुटवीयर
- डायमंड, कीमती स्टोन्स एवं ज्वेलरी
- इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर
- एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी पैनल एवं अन्य सामान
- फर्नीचर
- घड़ियां एवं दीवार घड़ियां
- खिलौने, तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पेडल कार, खेल उपस्कर
- कच्चा काजू
- खाद्य तेल
- रिफ्रैक्ट्री आइटम्स
- विविध (मोमबत्तियां, चश्मे आदि)

इतना ही नहीं सौर बैट्री/पैनल/मॉड्यूल्स के निर्माण से संबंधित सोलर टैम्पर्ड ग्लास तथा सी-इम्प्लांट के लिए जरूरी कच्चे माल, पार्ट अथवा एसेसरीज को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

यहां यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि 1991 से ही सीमा शुल्क में कमी की जाती रही है, लेकिन घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस पर पुनर्विचार किये जाने की अब भी जरूरत है। ये अधिक सूक्ष्म रुख के सूचकांक हैं। हरसंभव प्रयास के बावजूद, ये शुल्क डब्ल्यूटीओ की ओर से निर्धारित 25 और 40 प्रतिशत की दर के दायरे में ही हैं।

इस कदम की आलोचना भी हुई है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे दमनकारी बताया है। क्या इससे यह संदेश जायेगा कि भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक होने के बजाय संरक्षण चाहता है। इतना ही नहीं, शुल्क में बढ़ोतरी हमेशा लॉबी पर आधारित रही है, उदाहरण के तौर पर स्टील, अल्युमिनियम आदि।

कारोबारियों द्वारा ऐसी नियुक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में अतिरिक्त कार्यबल पर होने वाले व्यय पर 130 प्रतिशत तक की भारी कटौती की अनुमति दी गयी है। इसमें नये कर्मचारियों की भविष्य निधि का जिम्मा तीन साल तक सरकार द्वारा उठाने के प्रावधान किये गये हैं।

घरेलू उद्योग को लंबे समय तक संरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत आसियान के दस देशों और अन्य पांच देशों: आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया एवं न्यूजीलैंड के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) अर्थात् मुक्त व्यापार समझौते के लिए विचार विमर्श कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में एक समय सीमा शुल्क शून्य हो जायेगा।

तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा कॉरपोरेट कंपनियों के ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरई डीएस)- से जुड़ने की घोषणा की जा चुकी है। इतना ही नहीं इसके जीएसटीएन नेटवर्क से जुड़ने की भी घोषणा की गयी है, ताकि बड़े बायर्स और एमएसएमई विक्रेताओं के बीच लेन-देन स्वत: सत्यापित हो सकें और एमएसएमई कंपनियों की कारोबारी पूंजी की समस्याएं सुलझ सकें। इसके लिए कुछ और विधायी उपाय किये जाने की जरूरत है।

चौथा, एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहयोग, पूंजी तथा ब्याज सब्सिडी एवं नवाचार में सहयोग के लिए बजट में 3794 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि एमएसएमई सेक्टर ने कमोबेश इसका स्वागत किया है, लेकिन विस्तृत ब्योरे के बिना इस बारे में टिप्पणी करना कठिन होगा।

पचास करोड़ रुपये के कारोबार की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में 25 फीसदी की कटौती को 250 करोड़ तक के कारोबार वाली कंपनियों तक बढ़ाये जाने की घोषणा से लाभ तो होगा, लेकिन केवल एक छोटे-से हिस्से को, क्योंकि यह प्रस्ताव 'कंपनियों' के लिए है, जबकि हकीकत यह है कि 93 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई 'कंपनी' न होकर 'पार्टनरशिप' और 'प्रॉपराइटरशिप फर्म' हैं।

कम रेटिंग वाली कंपनियों को बांड मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पात्र बनाने का फैसला भी आगामी वित्त वर्ष के बजट का एक

अच्छा प्रस्ताव है। यदि ज्यादा से ज्यादा बड़े कॉरपोरेट्स ब्रांड मार्केट तक पहुंच बनाने में सक्षम होते हैं तो एमएसएमई के लिए अधिक से अधिक बैंक फंड उपलब्ध हो सकेंगे।

कुल मिलाकर, बजट की दिशा सकारात्मक प्रतीत होती है। कृषि और बुनियादी संरचना के लिए व्यापक परिव्यय जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए जरूरी मांग को प्रोत्साहित करेगा। रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई को बेहतर विकल्प समझा जा रहा है। आशा है कि एमएसएमई क्षेत्र में निवेश बढ़ेंगे और इच्छित सफलता हासिल होगी। ❑

फार्म-IV

योजना (हिन्दी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विवरण

1.	प्रकाशन का स्थान	नयी दिल्ली
2.	प्रकाशन की अवधि	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	डॉ. साधना राउत
	नागरिकता	भारतीय
	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
4.	प्रकाशक का नाम	डॉ. साधना राउत
	नागरिकता	भारतीय
	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
5.	संपादक का नाम	ऋतेश पाठक
	नागरिकता	भारतीय
	पता	648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
6.	उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी/हिस्सेदार हों	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001

मैं, डॉ. साधना राउत, एतत् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(डॉ. साधना राउत)
प्रकाशक